41–(08)–45–2018

पटना में दिनांक–20 जून, 2018 बुधवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

1. सारण जिलान्तर्गत मौजा–घेघटा, थाना नं०–295 के विभिन्न खाता एवं खेसरा के अन्तर्गत जयप्रकाश विश्वविद्यालय हेतु अधिग्रहित भूमि में से कुल रकबा–25.00 (पच्चीस) एकड़ (प्रपत्र–I, खाता–खेसरा संलग्न) भूमि चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।

1. **स्वीकृत।**

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

2. औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज अंचल के मौजा–अरथुआ में थाना नं०–741, खाता सं०–239, खेसरा सं०–187, रकबा–7.50 एकड़ गैरमजरूआ आम परती कदीम भूमि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

5. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–83 (पटना–गया–डोभी खण्ड) के चौड़ीकरण के क्रम में गया जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल–4.125 हेक्टेयर (भूमि विवरणी संलग्न–परिशिष्ट–I) "यथास्थिति" में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

5. **स्वीकृत।**

**नगर विकास एवं आवास विभाग**

6. पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 के द्वितीय किस्त की राशि कुल ₹507.725 करोड़ (पाँच सौ सात करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार रू०) मात्र तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कर्णांकित प्रथम किस्त की राशि ₹520.995 करोड़ (पाँच सौ बीस करोड़ निनानवे लाख पचास हजार रू०) मात्र अर्थात् कुल ₹1028.720 करोड़ (एक हजार अठाईस करोड़ बहत्तर लाख रू०) मात्र को वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट उपबंध की राशि में से राज्य के कार्यरत 141 नगर निकायों के बीच सहायक अनुदान के रूप में वितरित करने हेतु व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

6. **स्वीकृत।**

## सूचना प्रावैधिकी विभाग

7. भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत परियोजना "Development of C-DAC Digital Forensic Centre with Artificial Intelligence based Knowledge Support Tools" के क्रियान्वयन हेतु बिहार सरकार के द्वारा Matching Grant के रूप में ₹1,15,82,000.00 (एक करोड़ पन्द्रह लाख बेरासी हजार) मात्र C-DAC Kolkata एवं IIT, Patna को वित्तीय वर्ष 2018–19 में भुगतान किये जाने हेतु बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

7. **स्वीकृत।**

## स्वास्थ्य विभाग

8. गुरू गोविन्द सिंह अनुमंडलीय अस्पताल, पटना सिटी को सदर अस्पताल में उत्क्रमित करते हुए गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना करने के संबंध में।

8. **स्वीकृत।**

## गृह विभाग

9. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्रुत कार्य बल (RAF) की वाहिनी की स्थापना हेतु वैशाली जिले के अंचल–राजापाकर में अधिग्रहित 28.99 1/4 एकड़ भूमि को बिहार खासमहल नीति की कंडिका–19 (लीज की अधिकतम अवधि 30 वर्ष) एवं बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 441 एवं अनुसूची–15 (भूमि का बाजार मूल्य एवं पंजीकृत मूल्य प्राप्त करने) के प्रावधानों को क्षांत करते हुए 99 वर्ष की लीज पर 1/–रूपया टोकन राशि पर उपलब्ध कराने के संबंध में।

9. **स्वीकृत।**

## वित्त विभाग

11. बिहार वित्त नियमावली, 1950 में संशोधन के संबंध में।

11. **स्वीकृत।**

## पथ निर्माण विभाग

12. "वामपंथ उग्रवाद प्रभवित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas" (RCPLWEA) as a Vertical under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna के अन्तर्गत राज्य के पाँच जिले–औरंगाबाद, गया, जमुई, बाँका एवं मुजफ्फरपुर अन्तर्गत जिलावार/पथवार संलग्न विवरणी के अनुसार (परिशिष्ट–I) Batch-I में कुल–864.916 कि०मी० लम्बाई में पथ निर्माण कार्य (पुल/पुलिया निर्माण 15 मी० लम्बाई तक सहित) एवं एक अदद पुल (लम्बाई 148.8 मी०) निर्माण कार्य, भू–अर्जन कार्य, Utility Shifting कार्य, Enviromental clearance तथा 5% की दर से प्रशासनिक निधि (Administrative fund) सहित ₹122883.00 लाख (बारह सौ अठाईस करोड़ तिरासी लाख) रूपये की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कने के संबंध में।

12. **स्वीकृत।**

## पथ निर्माण विभाग

13. पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी अंतर्गत रसलपुर–बाजपट्टी–गाढ़ा पथ के कि०मी० 20.50 से कि०मी० 40.00 तक (कुल 19.50 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4938.39 लाख (उनचास करोड़ अड़तीस लाख उनचालीस हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 13. **स्वीकृत।**

## पथ निर्माण विभाग

15. Bihar Public Works Arbitral Award Payment नीति 2018 का अनुमोदन एवं इसे लागू करने के संबंध में। 15. **स्वीकृत।**

## गृह विभाग
(विशेष शाखा)

16. संकल्प ज्ञापांक–10228 दिनांक–28.11.2017 द्वारा प्रवृत्त वामपंथी उग्रवादियों के समर्पण – सह – पुनर्वासन (Surrender-cum-Rehabilitation) से संबंधित नीति की कंडिका–5 में अंकित देय वित्तीय लाभ के पुनर्निधारण के संबंध में। 16. **स्वीकृत।**

## गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

17. रेल पी०पी० डिहरी ऑन–सोन को उत्क्रमित कर रेल थाना डिहरी–ऑन–सोन का सृजन एवं उसके संचालन हेतु अतिरिक्त–52 (बावन) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 17. **स्वीकृत।**

## संसदीय कार्य विभाग

18. षोडश बिहार विधान सभा के दशम्–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 189वें सत्र (मानसून सत्र) के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में। 18. **स्वीकृत।**

## आपदा प्रबंधन विभाग

19. राज्य आपदा रिस्पौस फोर्स (SDRF) की एक बटालियन में पूर्व से प्रावधानित 18 टीमों को मिलाकर कुल पचास (50) टीमों के गठन हेतु विभिन्न श्रेणी में अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के संबंध में। 19. **स्वीकृत।**

## स्वास्थ्य विभाग

20. स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत नियमित चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदागत नियोजित चिकित्सकों की सेवा एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर कार्यरत चिकित्सकों को नियमित चिकित्सकों के अधिकतम उम्र सीमा के अनुरूप (वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–6745 दिनांक–30.07.2015) 67 वर्ष तक प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2401 दिनांक–18.07.2007 द्वारा निर्धारित 65 वर्ष की अधिकतम सीमा संबंधी बंधेज को शिथिल करने एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों की अधिकतम सेवा 65 वर्ष से 67 वर्ष उनकी चारित्री एवं सत्यनिष्ठा के आधार पर विस्तारित करने की शक्ति राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के शासी निकाय को तत्समय प्रभावी प्रावधान के अनुसार किये जाने के संबंध में।

20. **स्वीकृत।**

## पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

22. वित्तीय वर्ष 2018–19 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चालित बिहार पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना का पद सहित योजना का अवधि विस्तार की स्वीकृति तथा वर्ष 2017–18 के लिए घटनोत्तर स्वीकृति के साथ इसके स्थापना पर होने वाले व्यय राज्यांश शत्–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा व्यय करने हेतु योजना की स्वीकृति।

22. **स्वीकृत।**